



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]
No. 380]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 1996/कार्तिके 22, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 1996/KARTIKA 22, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

सा. का. नि. 521 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम 1963, (1963 का 38) की धारा 27 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस मंत्रालय की दिनांक 17 मई, 1984 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा नई परियोजनाओं तथा विद्यमान परिसम्पत्तियों के विस्तार अथवा संशोधन जिसके लिए निवेश संस्वीकृति हेतु पत्तन न्यास बोर्ड सक्षम है, के लिए पदों के सृजन हेतु उक्त खंड के प्रयोजन के लिए अधिकतम वेतनमान के रूप में विभागाध्यक्ष से निम्नस्तर के पदों का अधिकतम वेतनमान निर्धारित करती है।

[सं. ए-11013/33/96-पी ई-II]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Ministry's Notification dated 17th May, 1984, the Central Government hereby fixes the maximum of pay scale of ports below the level of Heads of the Departments, as the maximum of the pay scale for the purpose of said Clause for creation of posts for new projects and additions or modifications of existing assets for which Port Trust Board is competent to sanction the investment.

[No. A-11013/33/96-PE.II]

K. V. RAO, Jt. Secy.

